प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा।
2. निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी एवं बरेली।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांक :– 9फ/मा0स्वा0/2022–23/379 लखनऊ/दिनांक–13/06/2023

विषय :– मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरशः अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही है कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 लागू हो चुका है, जिसके कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु शासन ने शासनादेश सं0– 1027/पांच–7–2018, दिनांक–17/09/2018 द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षकगणों को निर्देशित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)** उक्त के क्रम में कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के निम्नलिखित प्राविधानों पर आपका ध्यान आकर्षित करना है:–

1. **धारा– 20** के अनुसार प्रत्येक मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार है एवं क्रूर, अमानवीय और निम्न श्रेणी के उपचार से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। **धारा–20(झ)** के अनुसार **मानसिक रूग्ण व्यक्तियों का मुंडन अनिवार्य नही होगा।**
2. **धारा–21** मानसिक रूग्ण व्यक्तियों को समानता और भेदभाव न करने का अधिकार प्रदान करता है एवं **धारा–21(ग)** के अनुसार मानसिक रूग्णता के लिए व्यक्ति शारीरिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को यथा उपबंधित समान रीति, विस्तार और क्वालिटी में **एंबुलेंस सेवा के उपयोग के हकदार होंगे।**
3. धारा–24(1) के अनुसार किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार के दौरान किसी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से संबंधित **कोई फोटो या कोई अन्य जानकारी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की सम्मति के बिना मीडिया को नही दी जाएगी।**
4. **धारा–95** के अनुसार अधिनियम में (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित उपचारों का मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति पर उपयोग नही किया जा सकेगा–

   (क)– मांसपेशी शिथिल किए बिना और संज्ञाहरण (Anaesthesia)के बिना **वैद्युत संक्षोभजनक चिकित्सा** (Electro-convulsive therapy);

   (ख)–अवयस्कों की वैद्युत–संक्षोभजनक चिकित्सा (Electro-convulsive therapy);

   (ग)– पुरूषों या महिलाओं का बंध्यीकरण, जब ऐसा बंध्यीकरण मानसिक रूग्णता के उपचार के लिए आशयित हो;

   (घ)– **किसी भी रीति या रूप, चाहे जो भी हो, जंजीर में बांधना।**

   (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि अवयस्क के उपचार के प्रभारी मनोविकार विज्ञानी के मत में वैद्युत–संक्षोभजनक चिकित्सा (Electro-convulsive therapy) की अपेक्षा है तो ऐसा उपचार संरक्षक और संबंधित बोर्ड की पूर्व संसूचित सहमति से किया जा सकेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 की समस्त धाराओं को संज्ञान में लेते हुये सर्वसंबंधित को अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करने एवं मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के अधिकारों का सरंक्षण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(रेनू श्रीवास्तव वर्मा)
महानिदेशक

पृष्ठांकन सं0–9फ/मा0स्वा0/2022–23/' तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन हेतु सर्वसंबधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

(सी0पी0कश्यप)
निदेशक(स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा।
2. निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी एवं बरेली।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांक :– 9फ/मा0स्वा0/2022–23/ लखनऊ/दिनांक– 13/06/2023

विषय :– मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरशः अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही है कि प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 लागू हो चुका है, जिसके कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु शासन ने शासनादेश सं0– 1027/पांच–7–2018, दिनांक–17/09/2018 द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षकगणों को निर्देशित किया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)** उक्त के क्रम में कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के निम्नलिखित प्राविधानों पर आपका ध्यान आकर्षित करना है:–

1. **धारा– 20** के अनुसार प्रत्येक मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार है एवं क्रूर, अमानवीय और निम्न श्रेणी के उपचार से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। **धारा–20(झ)** के अनुसार **मानसिक रूग्ण व्यक्तियों का मुंडन अनिवार्य नही होगा।**
2. **धारा–21** मानसिक रूग्ण व्यक्तियों को समानता और भेदभाव न करने का अधिकार प्रदान करता है एवं **धारा–21(ग)** के अनुसार मानसिक रूग्णता के लिए व्यक्ति शारीरिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को यथा उपबंधित समान रीति, विस्तार और क्वालिटी में **एंबुलेंस सेवा के उपयोग के हकदार होंगे।**
3. धारा–24(1) के अनुसार किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार के दौरान किसी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से संबंधित **कोई फोटो या कोई अन्य जानकारी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की सम्मति के बिना मीडिया को नही दी जाएगी।**
4. **धारा–95** के अनुसार अधिनियम में (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित उपचारों का मानसिक रूग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति पर उपयोग नही किया जा सकेगा–

   (क)– मांसपेशी शिथिल किए बिना और संज्ञाहरण (Anaesthesia)के बिना **वैद्युत संक्षोभजनक चिकित्सा** (Electro-convulsive therapy);

   (ख)–अवयस्कों की वैद्युत–संक्षोभजनक चिकित्सा (Electro-convulsive therapy);

   (ग)– पुरूषों या महिलाओं का बंध्यीकरण, जब ऐसा बंध्यीकरण मानसिक रूग्णता के उपचार के लिए आशयित हो;

   (घ)– **किसी भी रीति या रूप, चाहे जो भी हो, जंजीर में बांधना।**

   (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि अवयस्क के उपचार के प्रभारी मनोविकार विज्ञानी के मत में वैद्युत–संक्षोभजनक चिकित्सा (Electro-convulsive therapy) की अपेक्षा है तो ऐसा उपचार संरक्षक और संबंधित बोर्ड की पूर्व संसूचित सहमति से किया जा सकेगा।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 की समस्त धाराओं को संज्ञान में लेते हुये सर्वसंबंधित को अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करने एवं मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के अधिकारों का सरंक्षण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(रेनू श्रीवास्तव वर्मा)
महानिदेशक

पृष्ठांकन सं0–9फ/मा0स्वा0/2022–23/380-386 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन हेतु सर्वसंबधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

(सी0पी0कश्यप)
निदेशक(स्वास्थ्य)